[14/2/2024]

परिशिष्ट "अ"

प्रश्न सं. [क्र. 1853]

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल दिनांक 13/07/2021

क्रमांक 15/0/2556/2021/18-3

प्रति,

आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
भोपाल, म.प्र.।

विषय :- नगरीय निकायों द्वारा गौशालाओं में भेजे गये निराश्रित गौवंश के भरण पोषण तथा व्यवस्थापन करने के संबंध में।

----000----

उपरोक्त विषयांतर्गत अपर मुख्य सचिव, पशुपालन विभाग की टीप क्र. 1518 दि. 05.07.2021 एवं टीप क्र. 1602 दि. 08.07.2021 एवं सहपत्रों की छायाप्रति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

उक्त विषय प्रमुख सचिव महोदय के समय-सीमा प्रकरण का है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण में शीघ्र निर्देश जारी कर कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

(तरुण राठी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Addl. Dir. CRG

4643
16/7/21

DD(S)

600
19-7-21

E:\far\2021\letter 2020

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
Tel. : 0755-2556654
Email:- shakha2@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक 412/शाखा–2/2021/1979 भोपाल, दिनांक 22-07-2021

प्रति,

1. समस्त जिला कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश
2. समस्त आयुक्त,
   नगर पालिक निगम,
   मध्यप्रदेश
3. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पालिका/नगर परिषद,
   मध्यप्रदेश

कलेक्टोरेट आगर–मालवा
श्रेणी 5331
23 JUL 2021
प्र. अधीक्षक / कलेक्टर

विषय:–नगरीय निकायों द्वारा गौशालाओं में भेजे गये निराश्रित गौवंश के भरण पोषण हेतु व्यवस्था करने के संबंध में।

---000---

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की टीप क्रमांक 1518 दिनांक 05.07.2021 एवं टीप क्रमांक 1602 दिनांक 08.07.2021 की छायाप्रति संलग्न है जिसमें लेख है कि गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 22 नवंबर 2020 के बिन्दु क्रमांक 8 में निर्णय लिया गया है कि "नगरीय क्षेत्र में उपलब्ध गौवंश के आश्रय एवं भरण–पोषण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित नगरीय निकायों का होगा।"

अतः प्रकरण में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन भेजने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार.

(आर.के.कार्तिकेय)
अपर संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.

क्रमांक 412/शाखा–2/2021/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि:–

उप सचिव, म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक 1510/2556/2021/18–3 दिनांक 13.07.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

अपर संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप,
अरेरा हिल्स (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास), भोपाल
Telephon No.0755-2557727,Fax.No.0755-2552899, E-mail adress: dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक/पं.रा./एफ-1- /2022/2217 भोपाल, दिनांक 17 .02.2022

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला-समस्त, म0प्र0।

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत- समस्त, म0प्र0।

विषय:- म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 49क में संशोधन के संबंध में।

-0-

म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 49क ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 280 दिनांक 10 जुलाई 2019 अनुसार संशोधन करते हुए निम्न प्रावधान जोड़ा गया है :-

धारा 49क खण्ड (दो) "गौशाला तथा कांजी हाऊस स्थापित करना तथा उसका प्रबंध करना और भटके हुए पशुओं की उचित देखरेख करना;"

अतः अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान अनुसार गौशाला तथा कांजी हाऊस की स्थापना तथा प्रबंधन किया जाना सुनिश्चित करें।

(आलोक कुमार सिंह) 17/2/2022
संचालक
पंचायत राज संचालनालय, म0प्र0